उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या- 34/2016/969/92-2-16-99जॉच/2015
लखनऊ:: दिनांक 19 जुलाई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 हेतु चयनित डॉ0 राम मनोहर लोहिया ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेनके निर्माण हेतु निविदाओं के आमंत्रण एवं परीक्षण में अनावश्यक विलम्ब किये जाने आदि अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-40/2015/1832/92-1-2015-36जांच/2015, दिनांक 15-05-2015 द्वारा श्री परवेज, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता,(प0क्षे) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0-लखनऊ के पत्र दिनांक 03-09-2015 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित कतिपय आरोप स्थापित पाये गये। अतएव जॉच आख्या में स्थापित आरोपो के संबंध में शासन के पत्र संख्या-1657/92-2-2015-99जॉच /2015 दिनांक 02-12-2015 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी, श्री परवेज, अधिशासी अभियंता का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 18-01-2016 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया है।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, जॉच आख्या में स्थापित पाये गये आरोपो के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा पाया गया है कि जनपद बलिया में समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 हेतु चयनित डॉ0 राम मनोहर लोहिया ग्रामों में सी0सी0 रोड/के0सी0ड्रेन के निर्माण की निविदाओं के परीक्षण में विलम्ब करने, प्राप्त निविदाओं का तकनीकी परीक्षण हेतु नियमानुसार अपनी अध्यक्षता में समिति न गठित करने तथा निविदा स्वीकर्ता अधिकारी के रूप में अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन न कर जिम्मेदारी से बचने का प्रयास अपचारी अधिकारी द्वारा किया गया है। अत: श्री परवेज, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया द्वारा की गयी उक्त अनियमितता के लिये उन्हें निम्नवत दण्डादेश देते हुये उनके विरूद्व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(क) श्री परवेज की एक वेतनवृद्धि 02 वर्ष के लिये अस्थायी रूप से रोक दी जाय।

(ख) श्री परवेज को निम्नवत परिनिन्दित किया जाय :-

" जनपद बलिया में समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 हेतु चयनित डॉ0 राम मनोहर लोहिया ग्रामों में सी0सी0 रोड/के0सी0ड्रेन के निर्माण की निविदाओं के परीक्षण में विलम्ब करने, प्राप्त निविदाओं का तकनीकी परीक्षण हेतु नियमानुसार अपनी अध्यक्षता में समिति न गठित करने तथा निविदा स्वीकर्ता अधिकारी के रूप में अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन न कर, जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करने की अनियमितता किये जाने हेतु श्री परवेज, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया को वर्ष 2016-17 के लिये **परिनिन्दित** किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-34/2016/969(1)/92-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री परवेज, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in